(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

<u>सार्वजनिक सूचना सं0 9 (आर ई 2010)/2009-2014</u>

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2010

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा, प्रक्रिया-पुस्तक, (खण्ड-1) 2009-2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. बैंक वसूली प्रमाण पत्र से संबंधित परिशिष्ट 22क को इस सार्वजनिक सूचना के संलग्नक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

(पी0 के0 चौधरी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं अपर सचिव, भारत सरकार

(फाइल सं0 01/94/180/1032/एएम10/नीति-4(ख) से जारी)

सार्वजनिक सूचना सं० 9 दिनांक 7.9.2010 का अनुलग्नक

<u>परिशिष्ट - 22क</u>

1. <u>निर्यात और वसूली का बैंक प्रमाण-पत्र</u>

सेवा में,

......................................(क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम और पता) हम...
(निर्यातक का नाम और पता) एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने (बैंक का नाम और पता, शाखा और नगर) ....को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संग्रह/लेन देन/क्रय के लिए दस्तावेजी निर्यात बिल भेज दिया है :-

बीजक		सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणीकृत जहाजरानी बिल की निर्यात संवर्धन प्रति		सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणीकृत जहाजरानी बिल/ वाणिज्यिक बीजक/ पैकिंग सूची में दिए गए अनुसार माल का विवरण	लदान बिल/ डाक पार्सल रसीद/वायुयान बिल		माल का गन्तव्य स्थान	बिल की लागत बीमा भाड़ा/ लागत और भाड़ा/ पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य राशि (विदेशी मुद्रा में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

लदान बिल/ भाड़ा मेमो के अनुसार भाड़े की राशि	बीमा कम्पनी के बिल/रसीद के अनुसार बीमा राशि	दी गयी/ देय कमीशन/ छूट	क्या निर्यात मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में है या भारतीय रुपयों में है *	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/मुक्त विदेशी मुद्रा/रुपये में वास्तव में वसूल किया गया जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य	निर्यात आय की वसूली की तारीख	जीआर आई/ पी पी/ एस डी एफ फार्म संख्या	लागू लाइसेंस/ प्राधिकार पत्र की संख्या तारीख और श्रेणी
10	11	12	13	14	15	16	17

* टिप्पणीः- विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.40 में यथाउल्लिखित मुक्त रुप से परिवर्तनीय वास्ट्रो खाते के जरिए निर्यात आय की वसूली के मामले में प्राधिकृत डीलर बैंक ''मुक्त रुप से परिवर्तनीय वास्ट्रो खाते से वसूली'' शब्द का पृष्ठांकन करेगा ।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि पूर्वोक्त व्यौरे सही हैं । (इस निर्यात से संबंधित बीजक की प्रतियाँ और सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित ई पी प्रतियां, संबंधित जहाजरानी बिल की प्रति बैंक द्वारा जाँच के लिए संलग्न है ।)

निर्यातक के हस्ताक्षर ....
साफ अक्षरों में नाम ....
पदनाम ....

स्थान : ....
तारीख : ....
कार्यालय की सील/मुहर

पूरा कार्यालय का पता ....
पूरा आवासीय पता ....

बैंक का प्रमाण पत्र

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को आबंटित प्राधिकृत विदेशी मुद्रा डीलर कोड सं0......................

सन्दर्भ सं0.............................

दिनांक................................

स्थान................................

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने मै0................................... के सम्बन्धित निर्यात बीजक, जहाजरानी बिल की सीमाशुल्क द्वारा सत्यापित ई.पी.प्रति और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर ली है । हम आगे प्रमाणित करते हैं कि कालम 1 से 17 में दिए गए ब्यौरे की जाँच करने पर इसे ठीक पाया गया । हमने निम्नलिखित दस्तावेजों के सन्दर्भ में उपर्युक्त कालम 14 में उल्लिखित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की भी जाँच कर ली है ।

1 लदान का बिल/डाक पार्सल रसीद/वायुयान बिल
2 बीमा पालिसी/कवर/बीमा रसीद

2. वास्तविक रुप में प्राप्त पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात आय की प्राप्ति की तिथि सभी मामलों में देनी पड़ेगी, जहाँ स्पष्ट अपरिवर्तनीय साख पत्र के मद्दे खेप भेजा गया है अथवा भारत सरकार/एग्ज़िम बैंक लाइन आफ क्रेडिट के मद्दे किया गया निर्यात अथवा रोके गए भुगतान/ ईपीसीजी क वर द्वारा समर्थित सप्लायर्स लाइन आफ क्रेडिट संविदा को छोड़कर । इस आशय के पृष्ठांकन को बी आर सी में पृष्ठांकित करने की आवश्यकता होगी ।

3. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि निर्यात की तिथि..........................है ।
* (केवल वायुयान द्वारा किए जाने वाले निर्यात के सम्बन्ध में लागू)

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने निर्यातक द्वारा ऊपर की गई घोषणा के अनुसार, जी.आर. प्र ापत्रों के साथ अदा की गई/अदा की जाने वाली दलाली की राशि ....(अंको और शब्दों में) की जाँच कर ली है और इसे सही पाया गया है ।

(बैंकर(रों) के हस्ताक्षर)
बैंकर(रों) का पूरा पता..................
शाखा और नगर ....
कार्यालय की मोहर ....

टिप्पणी :

1. एक से अधिक खेप के लिए बैंक एक समेकित प्रमाण-पत्र (खेपवार) जारी कर सकता है ।

2. अनुमत अपरिवर्तनीय साखपत्र के मद्दे भेजी गई खेप के मामलों को छोड़कर सभी मामलों में वास्तविक रुप से वसूल किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और निर्यात आय की वसूली की तारीख दी जानी है ।

3. जहाँ नीति/प्रक्रिया में विशेषत: उल्लेख किया गया हो, वहाँ इसकी आवश्यकता होगी ।

4.

इस परिशिष्ट में निर्दिष्ट बैंकों में, प्राधिकृत डीलर भी शामिल होंगे, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बी आर सी

जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है । आवेदक को इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक अनुमति परिपत्र/पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।